

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर ।

प्रकरण क्रमांक

/2013 निगरानी

हरीराम पुत्र जागेश्वर प्रसाद सेन
आयु 28 वर्ष, निवासी बमरी तहसील देवेन्द्रनगर
जिला पन्ना ४८०१०४

R 962-II/13

--- आवेदक / 'निगरानीक

किरद

- 1- रामलाल आयु 45 वर्ष
- 2- विमल कुमार आयु 48 वर्ष
- 3- ददू पुत्रगण विशाल कोरी आयु 55 वर्ष
निवासी गण ग्राम बमरी, तहसील देवेन्द्रनगर,
जिला पन्ना ४८०१०४
- 4- रामभजन पुत्र बाँकेराम त्रिपाठी, आयु 64 वर्ष
निवासी बस स्टैण्ड के पास, देवेन्द्रनगर, तहसील
देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना ४८०१०४
- 5- धीरेन्द्र कुमार पुत्र शांकरलाल, आयु 28 वर्ष
निवासी देवेन्द्रनगर, तहसील देवेन्द्रनगर,
जिला पन्ना ४८०१०४
- 6- पद्मावती पत्नी शीवेन्द्र कुमार नामदेव
निवासी देवेन्द्रनगर, तहसील देवेन्द्रनगर,
जिला पन्ना ४८०१०४

7/13/13

(A.C. Sharma)
Adv

----- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता ।

किरद आदेश तहसीलदार महोदय तहसील देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 3 अ/12-13 में पारित आदेश दिनांक 22-1-13 है

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी-962-दो / 2013

जिला- पन्ना

हरीराम विरुद्ध रामलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
27-03-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. यह निगरानी तहसीलदार, तहसील देवेन्द्रनगर, जिला-पन्ना के प्रकरण क्रमांक 6/अ-12/2012-13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 22-01-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी देवेन्द्रनगर, जिला-पन्ना को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	


आर.के. जैस
सदस्य